माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & *E-mail id* : mpbse@mp.nic.in

दूरभाष कार्यालय–0755–2551650 फैक्स–0755– 2552061

क्रमांक/1664/परीक्षा–समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक 25/05/2020

प्रति,

1– समस्त–जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश

2– समस्त– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

3– समस्त– संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।

4– समस्त– जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय–मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2020 की शेष बची परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ–मण्डल का पत्र क्रमांक/1652–1653/परीक्षा समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक 22.05.2020

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2020 की शेष बची परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षायें दिनांक 09 जून 2020 से प्रारंभ होकर पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होना है।

संदर्भित पत्र द्वारा वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किये जाने संबंधी निर्देश पत्र जारी किया गया है। परीक्षाओं के सफल संचालन एवं संक्रमण से बचाव के लिये जिला स्तर पर निम्न व्यवस्थाये भी की जावे –

1– **कंटेनमेंट जोन में यदि कोई परीक्षा केन्द्र निर्धारित है अथवा किसी परीक्षा केन्द्र/संस्था को नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के लिये Quarantine center बनाया गया हो,** तो ऐसे क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र जिला कलेक्टर द्वारा परिवर्तित कर मण्डल को दिनांक 28.05.2020 तक अवगत करावे, यह भी सुनिश्चित किया जावे कि परिवर्तित परीक्षा केन्द्र की सूचना संबंधित छात्रों को भी अनिवार्य रूप से दी जाएँ।

2– मण्डल परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के लिये नियुक्त केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष को अपरिहार्य कारणों से जिला कलेक्टर द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में पूर्व केन्द्राध्यक्ष से नवीन नियुक्त केन्द्राध्यक्ष को गोपनीय सामग्री (प्रश्न–पत्र), परीक्षा की अन्य सामग्री एवं केन्द्र व्यय राशि का स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

3– प्रत्येक परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज कराया जावे एवं परीक्षा केन्द्र पर सेनेटाईजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था भी की जावें।

4– परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्रों को अपने नाक, मुंह को नकाब/कपड़े से ढ़क कर रखना अनिवार्य होगा एवं फिजिकल डिस्टेन्स नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाये।

5– यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर फिजिकल डिस्टेन्स नियम का पालन कराने में असुविधा होने की स्थिति में उक्त केन्द्र का अनुपूरक/उप केन्द्र बनाकर अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, किन्तु उक्त स्थिति में अनुपूरक/उप केन्द्र की दूरी मुख्य परीक्षा केन्द्र से अधिक नहीं होनी चाहिये। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से दिनांक 28.05.2020 तक अवगत कराये।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
WEBSITE : www.mpbse.nic.in & *E-mail id* : mpbse@mp.nic.in
दूरभाष कार्यालय–0755–2551650 फैक्स–0755– 2552061

6– समस्त परीक्षा केन्द्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जावे तथा थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी अथवा छात्र अथवा परीक्षा कार्य में संलग्न किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान अधिक आने की स्थिति में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें।

7– किसी भी परीक्षा केन्द्र को अन्यत्र परिवर्तित किया जाता है तो उक्त केन्द्र पर संलग्न संस्थाओं के प्राचार्यों एवं संबंधित छात्रों को परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की जानकारी से अवगत कराया जावे साथ ही आवश्यकता अनुसार परिवहन की व्यवस्था भी की जा सकती है।

8– परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित थाने में रखें प्रश्न–पत्रों का भौतिक सत्यापन कराकर यह सुनिश्चित करा लिया जावे की प्रश्न–पत्र पर्याप्त मात्रा में हैं, सुरक्षित हैं और उनकी गोपनीयता भंग नही हुई है।

9– परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया हैं, उक्त से संबंधित छात्रों को भी अवगत कराया जावें।

10– परीक्षाओं के संचालन व व्यवस्थाओं के संबंध में जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिनांक नियत नही की गई हैं के संबंध आवश्यक कार्यवाही कर दिनांक 02 जून 2020 तक अनिवार्यतः प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।

11– नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के कारण जो छात्र एक जिले से दूसरे जिले में विस्थापित हुये उनसे दिनांक 25 से 28 मई 2020 तक आनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, ऐसे छात्रों के आनलाईन आवेदन नियत तिथि तक अनिवार्यतः करा दिया जावे।

12– परीक्षा आयोजन संबंधी शेष निर्देश मण्डल के पत्र क्रामंक/1479–1480/प.स./2020 भोपाल, दिनांक 14/01/2020 अनुसार ही रहेगें।

कृपया वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा जानकारी/प्रतिवेदन ई–मेल asconf45@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/ 1665 /परीक्षा–समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक–25/05/2020

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– समस्त– संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3– समस्त– आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश।
4– समस्त– जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
5– समस्त– उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक,आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
6– समस्त– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
7– समस्त– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।
8 आंचलिक/समस्त–संभागीय अधिकारी,संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
9 समस्त–समन्वयक संस्था प्राचार्य एवं समस्त–केन्द्राध्यक्ष, मण्डल परीक्षायें वर्ष 2020 म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल